न्यायालय विशेष न्यायाधीश /अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,बहराइच

दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं० 561/12/2022

CNR.No.UPBH010049532022

तीरथराम ---- प्रति--- ----- ------ बाबूराम आदि

धारा–156(3) द०प्र०सं०

थाना–मोतीपुर, जनपद बहराइच।

10–04–2023

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। पूर्व तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पर सुना जा चुका है।

आवेदक तीरथराम के द्वारा विपक्षीगण बाबूराम, खेलावन, सुशील कुमार व शकुन्तला के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द०प्र०सं० इस आशय से दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति का विकलांग व्यक्ति है। विपक्षीगण दबंग किस्म के सवर्ण व्यक्ति है और वे उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे थे जिसका उसने विरोध किया जिससे वे सख्त रंजिश रखने लगे। दिनांक 25–09–2022 को दिन के दो बजे में विपक्षीगण पुनः वादी की भूमि पर कब्जा करने पहुंच गये। वादी ने विरोध किया तो विपक्षीगण भददी–भददी मां बहन की जाति सूचक गालियां देते हुए मारने दौड़े तो वह अपने घर चला आया। पीछे से विपक्षीगण लाठी, डंडा से लैस होकर उसके घर में घुस आये तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारकर खत्म करने की धमकी देते हुए लात,मूका व ईटों से मारने लगे। शोर पर पास–पड़ोस के तमाम लोग आ गये तथा वादी की जान बचायी। विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुए चले गये। उसने घटना की सूचना थाने पर दी परन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी। तब उसने पुलिस अधीक्षक, बहराइच को डाक के माध्यम से घटना की सूचना दिया परन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नही की गयी।

आवेदक ने प्रार्थना–पत्र के साथ स्वयं का शपथ–पत्र, डाक रसीद, पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना–पत्र की कार्बन प्रति एवं थानाध्यक्ष मोतीपुर को दिये गये प्रार्थना–पत्र की छायाप्रति, खाता विवरण की अप्रमाणित प्रति, खसरे की छायाप्रति, विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

थाने से आख्या मंगायी गयी। कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थना–पत्र की अन्तर्वस्तुओं के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 25–09–2022 को दिन के दो बजे में विपक्षीगण वादी की भूमि पर कब्जा करने पहुंचे तो आवेदक ने विरोध किया जिस पर विपक्षीगण मां बहन की जाति सूचक गालियां देते हुए मारने दौड़े। वह अपने घर चला आया। पीछे से विपक्षीगण लाठी, डंडा से लैस होकर उसके घर में घुस आये तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे जान से मारकर खत्म करने की धमकी देते हुए लात,मूका व ईटों से मारने लगे। शोर पर पास–पड़ोस के तमाम लोग आ गये तथा आवेदक की जान बचायी। विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित थानाध्यक्ष मोतीपुर,बहराइच को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना–पत्र के प्रकाश में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

(**राकेश कुमार–VI**)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
बहराइच
JO Code No. UP 6115